

# विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		ix
<b>अध्याय- I राज्य सरकार का वित्त</b>		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0)	1.1	1
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.2	6
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.3	13
सरकारी व्यय एवं निवेश	1.4	17
परिसंपत्ति एवं देयताएँ	1.5	21
ऋण प्रबंधन	1.6	23
अनुवर्ती	1.7	25
<b>अध्याय- II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>		
प्रस्तावना	2.1	27
विनियोग लेखा का सारांश	2.2	27
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	28
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4	35
बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण	2.5	37
असमाशोधित प्राप्तियाँ एवं व्यय	2.6	37
अनुदान संख्या-20 “स्वास्थ्य विभाग” की समीक्षा	2.7	38
अनुदान संख्या-46 “पर्यटन विभाग” की समीक्षा	2.8	40
<b>अध्याय - III वित्तीय प्रतिवेदन</b>		
व्यक्तिगत जमा खाते	3.1	43
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण उपकर	3.2	44
लेखाओं में अपारदर्शिता	3.3	44
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं का अन्तिमीकरण में विलंब	3.4	45
उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना	3.5	46
लंबित विस्तृत आकस्मिक विपत्र	3.6	49
निवेशों/ऋणों एवं अग्रिमों/प्रत्याभूतियों का असमाशोधन	3.7	52
जमा राशि पर ब्याज की गैर-अदायगी	3.8	53

## विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप शेषों का विभाजन		3.9	53
रोकड़ शेष में अंतर		3.10	53
असमायोजित अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय		3.11	53
राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा पर प्रभाव		3.12	54
परिशिष्ट			
संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य का परिचय	1	57
1.2	भाग-क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	1.1	58
1.2	भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	1.1	58
1.3	वर्ष 2016-17 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	61
1.4	वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकी	1.1.3	64
1.5	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	1.2.2	65
1.6	31 मार्च 2017 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.5.1	67
2.1	विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है	2.3.1	68
2.2	₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/ विनियोजनों की विवरणी	2.3.2	70
2.3	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	2.3.4	72
2.4	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	2.3.5	74
2.5	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	2.3.5	76
2.6	निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अप्रयाप्त निकासी	2.3.5	78
2.7	वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)	2.3.6	81
2.8	निधियों का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)	2.3.6	88
2.9	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत	2.3.8	94
2.10	वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण	2.3.8	95

## विषय सूची

विवरण		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
2.11	मार्च 2017 में सघन व्यय	2.3.9	97
2.12	नित्य प्रयोजन व्यय के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी	2.4	98
2.13	बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण	2.5	101
2.14	शत-प्रतिशत प्रेषण की राशि का ब्यौरा	2.5	103
2.15	वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की असमाशोधित राशि	2.6	104
2.16	आधिक्य/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान संख्या-20)	2.7.2	107
2.17	31 मार्च 2017 को हुए निधि का अभ्यर्पण	2.7.4	108
2.18	भाग अ: निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 100 प्रतिशत राशि का अभ्यर्पण (अनुदान संख्या-20)	2.7.5	115
	भाग ब: निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण 50 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक राशि का अभ्यर्पण	2.7.5	116
3.1	विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित पी0डी0 खाते	3.1.1	117
3.2	लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियों' का परिचालन	3.3	118
3.3	लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' का परिचालन	3.3	119
3.4	31.12.2017 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार बकाये लेखे	3.4	120
3.5	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि	3.5	123
3.6	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2017 को बकाया अंश, ऋण एवं प्रत्याभूति	3.7	124
	संकेताक्षरों की शब्दावली		129

